निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 31/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आदर्श को–ओपरेटिव बैंक लि॰ पता–941, धर्मानी मार्केट, चौडा रास्ता, जयपुर।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. कम्पनी मैसर्स अर्पित मार्बल प्रा॰ लि॰
   पता–राम भवन, रामगढ मोड, आमेर रोड, जयपुर।
2. श्रीमती कनुप्रिया अग्रवाल पत्नी श्री सुरेन्द्र अग्रवाल (डायरेक्टर एवं जमानति)
   पता–राम भवन, रामगढ मोड, आमेर रोड, जयपुर।
3. श्री सुरेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री रघुवीर शरण अग्रवाल (डायरेक्टर एवं जमानति)
   पता–राम भवन, रामगढ मोड, आमेर रोड, जयपुर।
4. श्री सुनील कुमार जैन पुत्र श्री केवल चन्द जैन (डायरेक्टर एवं जमानति)
   पता–राम भवन, रामगढ मोड, आमेर रोड, जयपुर एवं
   पता–2586, घी वालों का रास्ता, जोहरी बाजार जयपुर
5. श्री रघुवीर शरण अग्रवाल रामशरण अग्रवाल (गारन्टर)
   पता–राम भवन, रामगढ मोड, आमेर रोड, जयपुर।
6. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी रघुवीर शरण अग्रवाल (गारन्टर एवे सम्पत्ति धारक)
   पता–राम भवन, रामगढ मोड, आमेर रोड, जयपुर।
7. श्री किशोर कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रामस्वरूप अग्रवाल (गारन्टर)
   पता–494, हनुमान जी का रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर।
8. पारस सर्राफ पुत्र श्री रामचन्द्र सर्राफ (गारन्टर)
   पता–42, शाहपुरा बाग, आमेर रोड, जयपुर ।

अप्रार्थी ऋणी

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :–

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के विभागीय प्रतिनिधि वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांकः 11.01.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.08.2011 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री रघुवीर शरण के स्वामित्व की सम्पत्ति नटवारा हाउस पुराना आमेर रोड जयपुर क्षेत्रफल 819.5

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

वर्गगज को बन्धक रख कर 2,50,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.09.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ ।
3. बहस एक पक्षीय सुनी गई।
4. प्रार्थी वित्तीय बैंक के विभागीय प्रतिनिधि को गोर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
5. प्रार्थी कोपरेटिव बैंक को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 28 जनवरी, 2003 को सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 2,50,00,000,/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 2,68,89,277/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 02.09.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नही किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
7. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री रघुवीर शरण के स्वामित्व की सम्पत्ति नटवारा हाउस पुराना आमेर रोड जयपुर क्षेत्रफल 819.5 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
8. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।
9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
10. आदेश आज दिनांक 11.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

11/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर